

of constables, or the Chancellor "may" issue a commission in a case of bankruptcy, or one conferring power on the courts to direct that a person entitled to cost should recover them, is no more permission to do such acts, with a corresponding liberty to abstain from doing them."

So, the Central Government cannot say that they are at liberty not to associate the State Government in enacting or making the rules.

"The Supreme Court of the United States similarly laid it down that which public officers are empowered to do for a third person the law requires shall be done whenever the public interest or individual rights call for the exercise of the power, since the latter is given, not for their benefit, but for his"

This power to make rules has been given not for their benefit but for the benefit of the people. Therefore, it is obligatory on them. "May" in this case means "must".

The next point is the question of propriety. Government has admitted that it is not proper. On this admission alone, it should have been graceful on the part of the Minister to accept this amendment. But instead of that, they brought the Law Minister to plead that it is concurrent power. Concurrent power cannot be created by statute. They have gone beyond the power given to them. They have negatived the power this House gave them. The concurrent power is that of the House, not of the Government. There are provisions in the Constitution, as the Law Minister knows, under which this House can say that this law will be passed by the State Legislature.

MR. CHAIRMAN : How much more time will he require ?

SHRI SRINIBAS MISRA : About 10 to 12 minutes.

MR. CHAIRMAN : The hon. member will continue his speech when this is taken up next time, whenever it comes.

17.32 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION MAPS
ON KACHCHATIVU ISLAND PUBLISHED BY THE SURVEYOR
GENERAL OF CEYLON

MR. CHAIRMAN : Shri Kameswar Singh.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Sir, before the discussion is raised, I would like to appeal to the member and to the House that since the Kachchativu matter has been discussed both by the Ceylon Prime Minister and by our Prime Minister and the matter is likely to be settled amicably, this may not be raised at this stage. It can be raised at any time later.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : The matter is pending.

MR. CHAIRMAN : The appeal has been heard by the mover. It is for the mover to do whatever he likes.

श्री कामेश्वर सिंह (अगरिया) : सम्भवति महोदय, हम लोग ऐसी बहुत सी अपीलें सुनते आये हैं। सरकार तो चाहती है कि बहुत सी महत्वपूर्ण बातें इसी तरह खत्म कर दी जायें।

सबसे पहले यह मामला सत्र में रिपोर्ट किया था।

"The morning daily, the 'Sun' reported today at its main story under the headline 'Ceylon Government takes over Katchchativu' that the Ceylon Government had assumed full ownership of the island."

[श्री कामेश्वर सिंह]

यह 28 फरवरी, 1968 की खबर है। परन्तु इतने दिन बीत जाने पर भी आज तक सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है। उसी पत्र में आगे कहा गया है :

"Government agent in Jafna, (counter part of District Collector in India) in his report for 1965-66 had stated that very interesting goings on take place in the small island every year and it suggested that the ownership of this little island will soon have to be settled."

"Extract from this report were tabled recently by Prime Minister, Mr. Dudley Senanayake in response to a question by an Opposition Member in the Ceylon House of Representatives."

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जाफना, की रिपोर्ट से यह साफ जाहिर है कि यह छोटा सा द्वीप सीलोन का नहीं है, हिन्दुस्तान का है। इस के बावजूद हमारी सरकार इस बारे में कम-जोरी दिखा रही है। सबसे अफसोस की बात यह है कि 4 मार्च को प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में कहा कि कच्छातीवू द्वीप पिछले तीस सालों से विवादस्पद है। परन्तु जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जाफना, ने 1965-66 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि वह द्वीप सीलोन का नहीं है और उस रिपोर्ट के उद्धरण श्री सेनानायक के द्वारा हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किये गये, तो प्रधान किस तरह यह कह कर देश को गुमराह कर सकती हैं कि यह द्वीप पिछले तीस सालों से विवादस्पद है? प्रधान मंत्री की इस गलती के लिए राष्ट्र उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। इस प्रकार राष्ट्र को गुमराह करना बहुत बड़ा जुल्म है। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रधान मंत्री को इस जुल्म के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए। सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी।

जब मद्रास में जमींदारी उन्मूलन का कानून पास हुआ, तो उसके बाद रामनाड के

राजा ने अपने जमींदारी रिटर्न में इस द्वीप को भी मद्रास सरकार के हवाले कर लिया। मैं इस सदन को इसका थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूँ :

"Copies of documents establishing the ownership of the Kachchativu island in Palk Strait vested with the Raja of Ramanathapuram have been sent to the Government of India and the Madras Government.

According to them, on July 2, 1880 Muthusamy Pillai and Mohammed Abdul Kadir Maricar entered into a lease with the Raja of Ramanathapuram, owner of fishing rights in 69 coastal villages and eight islands including the Kachchativu over which Ceylon Government now lays claim.

The document, sent by Raja of Ramanathapuram, was registered before the Madurai Special Assistant Collector, Mr. Edward Turner, who was in Ramnad.

The lease deed, which became effective from July 21, 1880, stipulated a rent of Rs. 175 per fasli and was fixed for five faslis. An advance of Rs. 175 was accepted by the Raja of Ramanad. The lease deed stipulated penalty interest of 12 per cent for failure of payment of the rent.

Written on seven-rupee stamp paper the deed bears the register No. 510, first book, 16th volume, page 488 to 499.

After the expiry of the first deed, another lease deed was signed on December, 1896 by Muthusamy Pillai alone for another five-fasli period at Rs. 212 per fasli.

On behalf of the owner of the 69 coastal villages and eight islands including Kachchativu, the lease deed was signed by Mr. B. Rajarama Rayar, manager, Ramanathapuram place on behalf of [the owner, the Raja of Ramanathapuram.

On July 1, 1913, an indenture was signed between the Raja of Ramanathapuram and the Secretary of State for India in Council for a period of 15 years.

According to this a 'premium of sum of Rs. 60,000' was paid to the Raja of Ramanathapuram as owner of the 69 coastal villages and the nine islands including Kachchativu for 'full, free and exclusive rights, liberty and authority to search, collect, take and carry away all or any chank shells from the chank shell beds.'

The particulars of the limits given out in the deed were : the Gulf of Munnar, all the chank shell beds lying off the mainland section of the Ramanad Zamindari together with those off the south coast of Rameswaram island..."

17.35 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

फिर 1947 पर आइये ।

"In December 1947 the late Shanmuga Rajeswara Sethupathi, the Raja of Ramanathapuram, owner of the Kachchativu, leased to V. Ponnusamy Pillai and Janab K. S. Mohammed Kirza Maricar the chank collection rights on the island Kachchativu belonging to the Raja of Ramanathapuram. The lease was from fasli 1356 to fasli 1358 at the rate of Rs. 23 and annas 2 per fasli."

यह आश्चर्य की बात है कि इन सब तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए और जाफना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की 1965-66 की इस रिपोर्ट को देखते हुए कि इस द्वीप के स्वामित्व को जल्दी ही तय करना पड़ेगा, भारत सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया है ।

मद्रास के शिक्षा मंत्री, श्री नेवुनचेडियन, ने वहाँ की विधान सभा में कहा कि राज्य सरकार ने इस बारे में भारत से सरकार से लिखा-पढ़ी की है कि रामनाड का छोटा सा द्वीप, कच्छातीवू, बापिस मद्रास स्टेट में आ जाये । इस प्रश्न की ओर भारत सरकार की उपेक्षा का नतीजा यह हुआ कि सीलोन ने इस द्वीप को नक्शे में अपने भाग के रूप में दिखाया ।

उसके बाद प्रधान मंत्री ने 15 जुलाई को लोक सभा में एक लिखित उत्तर में यह आश्वासन दिया कि सरकार उस नक्शे का अध्ययन करेगी । परन्तु मालूम होता है कि वह अध्ययन करते-करते यह सरकार खरम हो जायेगी, समूचा देश भी खरम हो जायेगा, कोई जगह नहीं बचेगी, सिर्फ प्रश्न मंत्री का घर ही बच जायेगा हिन्दुस्तान में ।

हिन्दुस्तान में इस प्रश्न पर बहुत चर्चा होती है, परन्तु सीलोन में कहा जाता है कि यह बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है कि हिन्दुस्तान में इस बारे में चर्चा होती है । सीलोन में हमारे हाई कमिश्नर ने आज तक भारत सरकार को यह खबर नहीं दी कि सरवेयर-जेनेरल, सीलोन द्वारा जो नक्शा 1963 में प्रकाशित किया गया था, उसमें भी इस द्वीप को सीलोन का भाग दिखाया गया था ।

सबसे मजेदार बात यह है कि रानी विक्टोरिया के टाइम में एक सनद के द्वारा साफ बताया गया कि वह द्वीप हिन्दुस्तान में है । वह सनद सीलोन के नैशनल आरकाइव्स में था । लेकिन सीलोन में हमारे हाई कमिश्नर उसको नहीं देख सके ।

वास्तव में आज प्रधान मंत्री को, सदन की नेता को, इस बहस के अवसर पर इस सदन में रहना चाहिए था । परन्तु वह कभी भी इन बातों में इन्ट्रेस्ट नहीं लेती हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I may inform the hon. Member that the Prime Minister is busy elsewhere and she has indicated her inability to be present here. So that should not be brought in.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : इतना तो मानना पड़ेगा कि कम से कम इस मामले में उनके पिता जी अच्छे थे, वह सदन की इज्जत करते थे।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur) : Is she in the other House?

MR. DEPUTY-SPEAKER : She is in a Cabinet meeting.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Cabinet meeting is no excuse.

श्री रवि राय (पुरी) : क्या वह देश की सीमाओं के प्रश्न पर भी सदन में नहीं आ सकतीं ?

श्री मधु लिमये : वह हमेशा ऐसा करती है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You do not press that point because she has shown the courtesy to the House by informing the House.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब उन्हें मालूम था कि यह चर्चा होने वाली है, तो इस समय कैबिनेट मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी ? यह गलत बात है।

श्री कामेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री यह जानती थीं कि अध्यक्ष ने इस चर्चा के लिए आज की डेट रखी थी और उनको नोटिस मिला हुआ था। उसके बाव भी कबीना की मीटिंग रखना बिल्कुल वसत है और इस सदन का अपमान है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not proper.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : We have got such a competent Deputy Minister. Why is he bothering so much about that ?

श्री कामेश्वर सिंह : सबसे मजेदार बात यह है कि सदन को हमेशा यह आश्वासन दिया गया कि जब सीलोन के प्रधान मंत्री यहाँ आयेंगे, तो हम लोग इस के बारे में उनसे बातचीत करेंगे।

परन्तु जो कम्यूनिके में कहा गया है या जो भी बात प्रकाशित की गई सबों में इस बात को टाला गया। इस बात को बहुत सावधानी से देखा गया कि काञ्चातीवू का मामला सामने नहीं आवे। जितनी बातें इस सम्बन्ध में कही गई बिल्कुल थोड़ी दलीलें सब हैं। परन्तु प्रधान मंत्री की समझ में यह नहीं आयेंगा और जो भी ऐसी बात यह लोग करेंगे कञ्चातीवू के बारे में हम लोग कभी उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

तो मैं मंत्री महोदय से साफ और जाहिर तरीके से जानना चाहता हूँ कि क्वीन विक्टोरिया के टाइम का जो डाक्यूमेंट है जो कि सीलोन के नेशनल आर्काइव्स में था और जिसे सीलोन ने निकाल लिया है, इस बात का निपटारा किया जायगा तो उस वक्त सरकार सीलोन से कहेगी या नहीं कि वह डाक्यूमेंट निकाला जाय ?'

दूसरी बात यह कि राजा आफ रामनाड ने जो प्रधान मंत्री को खत लिखा है, जो भी कागजात उन्होंने प्रधान मंत्री और भारत सरकार को भेजे हैं कञ्चा तीवू के सिसिले में और इस सिसिले में जितने भी कागजात हैं वह सदन के पटल पर रखेंगे, इसका आश्वासन मंत्री जी हैं नहीं हम समझेंगे कि इन्दिरा जी देश को सिक्विडेशन में ले जा रही हैं :.....
(अध्यक्षान)